रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112024-258735
CG-DL-E-19112024-258735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4570] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2024/कार्तिक 28, 1946
No. 4570] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2024/KARTIKA 28, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2024

का.आ. 4958(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग –** तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर तालिका के कॉलम (5) के अंतर्गत तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्धारित तारीख से भारतीय मानक भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम -I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा;

बशर्ते कि लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित किया गया है, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) की संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे;

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण –** ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम संख्या	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्यतः कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों हेतु कार्यान्वयन की तारीख	सूक्ष्म उद्यमों हेतु कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर्स	302 – 2 - 76 : 1999	घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा –भाग2विशेष आवश्यकताएं – धारा 76 इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर्स	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छः माह	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से नौ माह	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से बारह माह

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण , जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा.सं. पी-29026/1/2024– एलईआई]
संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)
ORDER
New Delhi, the 14th November, 2024

S.O. 4958(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Electric Fence Energizers (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 from the date specified in the corresponding entry under column (5) of the Table:

Provided that the small enterprises and micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

4. Penalty for contravention. — Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

S. No.	Goods or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of implementation for small enterprises	Date of implementation for Micro Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Electric Fence Energizers	302-2-76:1999	Safety of Household and similar electrical appliances - Part 2 particular requirement Sec 76 electric fence energizers	6 months from the date of publication of this order	9 months from the date of publication of this order	12 months from the date of publication of this order

Note: For the purposes of this Table, the latest version for Indian Standards including the amendments issues thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/1/2024-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.